10.01.2017

वादी द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधि०। प्रतिवादी क० 1 लगायत 4 द्वारा श्री अरविन्द चौबे अधि० उप०।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर वादी अतल सिंह की ओर सक एक लिखित आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी क्0 1 लगायत 4 का न्यायालय के वाहर राजीनामा हो गया है । वादी एवं प्रतिवादी क्0 1 लगायत 4 मिलकर संयुक्त रूप से सीमांन कराना चाहते है । इस कारण दावा को वादी वापिस कर निरस्त कराना चाहता है। इस दावे के द्वारा आगे कोई सहायता नहीं चाहता है। इसलिये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही न चाहते हुए प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत उक्त आवेदन अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद उक्त आवेदन के परिपेक्ष में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण की व्यय तालिका तैयार की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयाविध में अभिलेखागार भेजा जावे।

> साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0